(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 107 / 2021 **जीसीएमएस नम्बर :– 2021 / 222**

1. शेरसिंह पुत्र श्री निंरजन सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तन् सातौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. रमेश पुत्र श्री निंरजन सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तन् सातौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. सुशीला पत्नी श्री महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तन् सातौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. राहुल पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तन् सातौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. प्रियंका पुत्री श्री महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तन् सातौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. रोहित पुत्र श्री महेन्द्र सिंह जाति अहीर निवासी ढाणी खटोटी तन् सातौर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

.....**वादीगण**

बनाम

1. इन्द्र सिंह पुत्र श्री अडीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
2. गुलाब पत्नी मनीराम जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
3. नरेन्द्र पुत्र श्री मनीराम जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मनीराम जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
5. सन्तोष पत्नी श्री रामोतार जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
6. प्रमोद सिंह पुत्र श्री रामोतार जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
7. नसीब सिंह पुत्र श्री रामोतार जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
8. सरबाई पत्नी श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
9. बाबुलाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
10. राजवीर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

11. शेरसिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
12. तेजपाल सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
13. सिलोचना पुत्री श्री भगवान सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
14. रोहिताश पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
15. निहाल सिंह पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
16. बिलासराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
17. मीरसिंह पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
18. बिलासाराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
19. लालाराम पुत्र श्री भगवानाराम जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
20. तारावति पत्नी बगड़ावत जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
21. महिपाल पुत्र बगड़ावत नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
22. सतपाल पुत्र बगड़ावत नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
23. विक्रम पुत्र बगड़ावत नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
24. शीला देवी पत्नी बाबुलाल जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
25. कृष्ण पुत्र श्री बाबुलाल नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
26. सन्दीप पुत्र श्री बाबुलाल नवीरा भगवाना जाति अहीर निवासी खान्दवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज0
27. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राजस्थान

.....प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

दावा बाबत— घोष्णात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

—:निर्णयः— दिनांकः— 05/8/24

(1). वादी का वादपत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम सागवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि के गत ख0 न0 18 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा के 1/2 हिस्से का खातेदार भगवान सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी सागवा था जो प्रतिवादी संख्या 8 लगा0 13 का हकपूर्वाधिकारी था। उक्त भगवान सिंह ने गत ख0 न0 18 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा में से 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि दिनांक 04.06.1986 को वादी सं0 1 एवं वादी सं0 2 एवं वादीगण सं0 3 लगा0 6 के हकपूर्वाधिकारी महेन्द्र सिंह को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र बेचान कर कब्जा वादीगण को उसी समय सौप दिया था एवं विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि भी प्राप्त कर ली थी। तभी से वादीगण इस भूमि पर शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के सभी की जानकारी में बतोर खातेदार काबिज कास्त हैं।
2. यह कि भूमि गत ख0 न0 18 के हाल बन्दोबस्त में नये ख0 न0 229 रकबा 1.14 है0 एवं ख0 न0 230 रकबा 0.98 है0 कायम किये है। इस प्रकार इस भूमि में वादीगण ने 4 बीघा 4 बिस्वा अर्थात 1.06 है0 रकबा खरीद किया हैं।
3. यह कि हाल ख0 न0 229 रकबा 1.14 है0 ख0 न0 230 रकबा 0.98 है0 मे से वादी सं0 1 शेरसिंह ने खातेदार अड़ीसाल सिंह से दिनांक 09.11.1994 को उसके हिस्से में 0.35 है0 रकबा जरिए पजिकृत विक्रय पत्र खरीद कर विक्रय मूल्य का भुगतान कर कब्जा भी उसी समय प्राप्त कर लिया एवं बहैसियत खातेदार वह शांतिपूर्वक काबिज हैं। तथा वादी सं0 1 ने खातेदार अडीसाल सिंह से दिनांक 24.05.1996 को उसके हिस्से में से 0.13 है0 रकबा जरिए विक्रय पत्र दिनाक 24.05.1996 एवं विक्रय पत्र दिनांक 09.11.1994 के जरिए 0.48 है0 रकबा खरीद किया है। जो अड़ीसाल सिंह प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के हकपूर्वाधिकारी से खरीद किया हैं।
4. यह कि वादीगण ने वाद वर्णित भूमि में से कुल 1.54 है0 रकबा जरिए पजिकृत विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया हैं एवं अपनी खरीदशुद्वा भूमि पर पशुओं की सुरक्षा के लिए पीलर लगाकर पुख्ता तारबाड़ बना रखी हैं। तथा इस भूमि में अपने कुए से सिचाई हेतु पाईप दबा रखी हैं एवं अपनी इस भूमि को सिचाई करते हैं इस प्रकार वाद वर्णित भूमि में वादी सं0 1 का 0.84 है0 रकबा हैं। तथा वादी सं0 2 का 0.35 है0 रकबा एवं वादी सं0 3 लगा0 6 का 0.35 है0 रकबा है।
5. यह की सन् 1986 में जब विक्रय पत्र पजिकृत हुआ उस समय राजस्व रिकार्ड बन्दोबस्त विभाग के पास था। एवं बन्दोबस्त विभाग ने पुराने ख0 न0 जिनका रकबा बीघा में था उनको परिवर्तित कर नये ख0 न0 कायम कर हैक्टेयर में कायम कर दिया। एवं उसके बाद वादीगण ने सन् 1994 एवं 1996 में जो पंजिकृत विक्रय पत्रों से खरीदी थीं उसके विक्रेता खातेदारों की मृत्यु के बाद उनके वारिसान के नाम से नामान्तरण दर्ज हो गया जिस कारण वादीगण के नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज नही हुआ हो सका। एवं यह भूमि विक्रेताओं के ही नाम दर्ज चली आ रही हैं। जबकि वादीगण अपने 1.54 है0 रकबा पर शांतिपूर्वक सभी की जानकारी में बतोर खातेदार काबिज कास्त हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

6. यह कि बन्दोबस्त सन् 1979–80 में पूर्ण हुआ तो बन्दोबस्त विभाग ने भूमि गत ख0 न0 18 के हाल ख0 न0 229 एवं 230 के कुल हिस्से 270 दर्ज करते हुये उसमें से बिना किसी हक व अधिकार के प्रतिवादी सं0 14 लगा0 26 के हकपूर्वाधिकारी भगवाना के नाम दर्ज कर दिया जबकि उसका इस भूमि से कोई सम्बन्ध सरोकार नही है ना ही कभी कब्जा रहा हैं एवं बन्दोबस्त विभाग को भी इस प्रकार बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय अथवा डिक्री के प्रतिवादी सं0 14 लगा0 26 के हक पूर्वाधिकारी का नाम दर्ज करने का हक व अधिकार नही था इसलिए प्रतिवादी सं0 14 लगा0 26 का नाम इस भूमि की खातेदारी से हजफ किये जाने योग्य हैं।

7. यह कि प्रतिवादी सं0 8 लगा0 13 के हकपूर्वाधिकारी भगवानसिंह ने भूमि गत ख0 न0 18 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा मे से अपना सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा अर्थात 4 बीघा 4 बिस्वा रकबा वादीगण को दिनांक 04.06.1986 को बेचान कर दिया हैं इसलिए प्रतिवादी सं0 8 लगा0 13 को इस भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नही रहा है तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के हकपूर्वाधिकारी अड़ीसाल सिंह ने अपने हिस्से में से 0.13 है0 रकबा दिनांक 24.05.1996 को एवं 0.35 है0 हिस्सा दिनांक 09.11.1994 को बेचान कर दिया हैं। जबकि प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के नाम प्रत्येक के 23/270 हिस्सा दर्ज हैं अर्थात प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 के हकपूर्वाधिकारी रामोतार के नाम 23/270 प्रतिवादी सं0 4 के नाम 23/270 एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 3 प्रत्येक के नाम 23/270–23/270 हिस्सा दर्ज है जबकि उन्होने वादीगण सं0 1 को 0.48 है0 रकबा का बेचान कर दिया है। इस प्रकार इस वाद वर्णित भूमि में से प्रतिवादी सं0 8 लगा0 26 का नाम हटाया जाकर एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 के नाम दर्ज 23/270–23/270 हिस्से के स्थान पर वादी सं0 1 का 0.84 है0 रकबा वादी सं0 2 का 0.35 है0 रकबा वादी सं0 3 लगा0 6 का 0.35 है0 घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 8 लगा0 24 के हकपूर्वाधिकारी भगवान सिंह पुत्र श्री रामनाथ सिंह एवं भगवाना पुत्र नन्दराम का नाम हटाये जाने योग्य हैं तथा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 7 के 23/270 –23/270 हिस्से के बजाय उनका 0.58 है0 रकबा दर्ज कर इस 0.58 है0 रकबा में प्रतिवादी सं0 1 हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 हिस्सा 1/3 एवं प्रति0 सं0 5 लगा0 7 का हिस्सा 1/3 दर्ज किये जाने योग्य हैं।

8. यह कि वाद वर्णित भूमि वादीगण द्वारा पजिकृत विक्रय पत्र द्वारा खरीद करने के बावजूद उनके नाम खातेदारी दर्ज नही होने एवं इस भूमि की खातेदारी विक्रेता प्रतिवादी सं0 1 लगा0 13 के ही नाम दर्ज रहने एवं प्रतिवादी सं0 14 लगा0 26 के हकपूर्वाधिकारी का नाम बन्दोबस्त विभाग द्वारा दर्ज करने एवं प्रतिवादी सं0 14 लगा0 26 द्वारा एवं प्रतिवादी सं0 1 लगा0 13 द्वारा इसे पुनः दान रहन, बेचान या किसी भी प्रकार पुनः हस्तानान्तरित करने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।

9. यह कि दावा के लिए आधार विवाद वाद वर्णित भूमि वादीगण द्वारा जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.06.1986 एवं वादी सं0 1 विक्रय पत्र दिनांक 09.11.1994 एवं 24.05.1996 के द्वारा खरीद करने एवं इसके एवज वादीगण का नाम इस भूमि की खातेदारी में दर्ज नही होने एवं प्रतिवादीगण सं0 1 व 26 के नाम दर्ज रहने तथा अब गलत रिकार्ड की आड में उनके द्वारा इस भूमि का पुनः रहन बेचन, दान आदि कर देने

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

से स्थिति से एवं वादीगण का खाता अपने संयुक्त रहने पैदा हुआ हैं। अतः दावा अन्दर मियाद हैं।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया किः–

(क). कि वाके ग्राम सागवा स्थित ख0 न0 229 रकबा 1.14 है0 ख0 न0 230 रकबा 0.98 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.12 हैं0 में वादी सं0 1 को 0.84 है0 रकबा वादी सं0 2 को 0.35 है0 रकबा वादी सं0 3 लगा0 6 को 0.35 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 8 लगा0 26 एवं इनके हकपूर्वाधिकारी भगवान सिंह पुत्र रामनाथ सिंह भगवाना पुत्र नन्दराम का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के 23 / 270–23 / 270 एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 के हकपूर्वाधिकारी रामौतार के 23 / 270 हिस्सा के स्थान पर 0.58 है0 रकबा दर्ज कर इस 0.58 है0 रकबा में प्रतिवादी सं0 1 का 1 / 3 प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 का 1 / 3 एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 का 1 / 3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड दुरूस्त किये जाने कि कृपा करें। तथा वादीगण का खाता सयुक्त रखते हुए वादी सं0 1 के 0.83 है0 वादी सं0 2 के 0.35 वादी सं0 3 लगा0 6 के 0.35 कुल 1.54 है0 रकबा का खाता प्रतिवादीगण से विभाजित कर लगान अलग से कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने कि कृपा करें।

(ख). कि प्रति0 सं0 1 लगा0 26 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वाके ग्राम सागवा स्थित भूमि ख0 न0 229 रकबा 1.14 है0 ख0 न0 230 रकबा 0.98 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.12 है0 के किसी भी भाग को रहन बेचान, दान, गिरवी या किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरित नही करे ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना अन्य से करवाये। तथा प्रतिवादी सं0 28 को भी पाबन्द किया जावे कि वह इस भूमि को बर्तोर उपपंजियक प्रतिवादी सं0 1 लगा0 26 द्वारा प्रस्तुत किसी भी हस्तान्तरण विलेख को पंजिकृत नही करें।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी सं. 1, 5, 8, 10, की ओर से श्री अशोक यादव ने वकालतनामा पेश कर इकबालीया जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का दावा मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने की कृपा करे। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 01.12.2022 को अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.04.2024 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 134 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1696 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा ... विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज ... नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र ... प्राप्त कुरे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम सागवा स्थित भूमि हाल खाता संख्या 26 में वादी के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

"न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सागवा स्थित ख0 न0 229 रकबा 1.14 है0 ख0 न0 230 रकबा 0.98 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.12 हैं0 में वादी सं0 1 को 0.84 है0 रकबा वादी सं0 2 को 0.35 है0 रकबा वादी सं0 3 लगा0 6 को 0.35 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 8 लगा0 26 एवं इनके हकपूर्वाधिकारी भगवान सिंह पुत्र रामनाथ सिंह भगवाना पुत्र नन्दराम का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के 23/270–23/270 एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 के हकपूर्वाधिकारी रामौतार के 23/270 हिस्सा के स्थान पर 0.58 है0 रकबा दर्ज कर इस 0. 58 है0 रकबा में प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 का 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिनांक 02.04.2024 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 135 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1696 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "'अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक 05/8/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–
हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 107/2021
जीसीएमएस नम्बर :– 2021/222

शेरसिंह **बनाम** इन्द्र सिंह आदि

दावा बाबत– घोष्णात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं0 1, 5, 8, 10 की ओर से श्री अशोक यादव उपस्थित व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

''न्यायालय वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः ग्राम सागवा स्थित ख0 न0 229 रकबा 1.14 हैै0 ख0 न0 230 रकबा 0.98 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2. 12 हैं0 में वादी सं0 1 को 0.84 है0 रकबा वादी सं0 2 को 0.35 है0 रकबा वादी सं0 3 लगा0 6 को 0.35 है0 रकबा का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं0 8 लगा0 26 एवं इनके हकपूर्वाधिकारी भगवान सिंह पुत्र रामनाथ सिंह भगवाना पुत्र नन्दराम का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 के 23/270–23/270 एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 के हकपूर्वाधिकारी रामौतार के 23/270 हिस्सा के स्थान पर 0.58 है0 रकबा दर्ज कर इस 0.58 है0 रकबा में प्रतिवादी सं0 1 का 1/3 प्रतिवादी सं0 2 लगा0 4 का 1/3 एवं प्रतिवादी सं0 5 लगा0 7 का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिनांक 02.04.2024 को प्राथमिक डिक्री कर दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 135 दिनांक 07.05.2024 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 1696 दिनांक 10.07.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 05/8/24 को मेरे हस्ताक्षर से न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.09.09 12:23:52 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनू (राज.)
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)